

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

बन्ध्याकरण या पुन: बन्ध्याकरण / नसबन्दी

<u>आवेदल-सह-सहम्रति प्रपत्र</u> (INFORMED CONSENT FORM)

Picture of Beneficiary

उपरोक्त हेतु सभी इच्छुक महिलाओं / लाभार्थियों के बन्ध्याकरण / नसबन्दी के पूर्व सहमति प्रपत्र निम्नवत् है :				
स्वास्थ्य संस्थान का नाम: जिला का नाम				
लामार्थी का पंजीयन संख्या (OPD/IPD No.):				
तिथिः/20				
1. लामार्थी का नाम : श्री / श्रीमती				
2. पति / पत्नी का नाम : श्री / श्रीमती				
3. पता:				
4. सम्पर्क नं:				
 सभी जीवित, अविवाहित आश्रित बच्चों की विवरणी — 				
i) नामः आयु	,			
ii) नामः आयु	,			
iii) नामः आयु	,			
iv) नामः आयु	,			
6. लामार्थी के पिता का नाम : श्री				
7. पताः				
8. धर्म / राष्ट्रीयताः				
9. श्रेणीः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य :				
10. आर्थिक स्थितिः गरीबी रेखा से उपर / गरीबी रेखा से नीचे				
11. लामार्थी की शैक्षणिक योग्यता :				
12. व्यवसाय / पेशा :				
13. शल्य क्रिया का केन्द्र :				

Annexure – 7 (Total 3 pages)

	मै, श्रीमती / श्री (लाभार्थी) शल्य विधि से बंध्याकरण / नसबंदी हेतु सूचित सहमति प्रदान करता / करती हूँ ।		
मैं वि	वेवाहित हूँ तथा मेरे / मेरे पति / पत्नी जीवित है। मेरी 🖰 उम्रवर्ष है एवं मेरे पति / पत्नी की उम्रवर्ष है। मेरे		
(संर	थ्या में) लड़केएवंए एतंएवं (संख्या में) लड़कियाँ जीवित बच्चे है। मेरे सबसे छोटे बच्चे की उम्र वर्ष		
है।			
क)	मैने स्वयं बंध्याकरण/नसबंदी/पुनः बंध्याकरण ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया है जो किसी के बाहरी दबाव/प्रलोभन या बल र प्रभावित नहीं है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी (दम्पती) का पहले बंध्याकरण/नसबंदी नहीं किया गया है (पुन बंध्याकरण के मामले में मान्य नहीं)।		
ख)) मैं अवगत हूँ कि गर्भ निरोधक साधनों के अन्य उपाय भी मेरे लिए उपलब्ध है। मैं जानता / जानती हूँ कि यह परिवार कल्याण की स्थार्य विधि है तथा मैं यह भी जानता / जानती हूँ कि अपनाने के बाद इस विधि के असफल होने की भी संभावना रहती है, जिसके लिए ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक और स्वास्थ्य संस्थान मेरे या मेरे परिजनों द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उत्तरदायी नहीं ठहराये जायेंगे।		
ग)	मैं जो ऑपरेशन अपनाने जा रहा / रही हूँ उसके अंतर्गत जोखिम से अवगत हूँ।		
घ)) ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी योग्यता से मुझे अवगत करा दिया गया है एवं मै मानदंड के अनुरूप बंध्याकरण / नसबंदी व लिए उपयुक्त हूँ।		
ङ)	मैं सहमत हूँ कि इस शल्य क्रिया (बंध्याकरण / नसबंदी) में दिये जाने वाले निश्चेतना (किसी भी प्रकार के) जो चिकित्सक / स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा उपयुक्त हो के तहत् ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हूँ। इसके अतिरिक्त उपयुक्त सभी प्रकार के जीवन रक्षक प्रक्रियाओं (यदि आवश्यक हो) के लिए भी अपनी सहमति प्रदान करती / करता हूँ।		
ਚ)	मैं ऑपरेशन के पश्चात् पुनः चिकित्सा जाँच (Follow up) हेतु अस्पताल / स्वास्थ्य केन्द्र / चिकित्सक के द्वारा दिये गये निर्देशों को पालन करते हुये स्वास्थ्य केन्द्र में आने हेतु सहमति देता / देती हूँ। इस निर्देश का पालन नहीं होने पर यदि कोई घटना घटित होती है तो इसके परिणामों के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा / रहूँगी।		
छ)) यदि, इस शल्य क्रिया (बन्ध्याकरण) के उपरान्त मुझे मासिक धर्म नहीं आता है तो मैं दो सप्ताह के अंदर स्वास्थ्य केन्द्र / चिकित्सक के सूचित करूँगी तथा निःशुल्क गर्भपात (MTP) की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकती हूँ। अन्यथा, गर्भधारण से संबंधित परिणामों के लिए मै खुद जिम्मेवार रहुँगी।		
ज)) मैं अवगत हूँ कि नसबन्दी के तुरंत बाद पूर्ण नसबंदी नहीं हो पाता है (सिर्फ पुरूष नसबंदी के लिए लागू)। इसलिए मैं नसबंदी के 3 मही पश्चात् नसबंदी की सफलता सुनिश्चित हेतु शुक्राणु परीक्षण के लिए आने पर सहमत हूँ अन्यथा इसके परिणामों के लिए मैं खुद जिम्मेदा रहूँगा।		
耔)	बंध्याकरण / नसबन्दी के फलस्वरुप जटिलता, असफलता एवं मृत्यु की स्थिति में मै / मेरे पित / पत्नी तथा मेरे अविवाहित आश्रित बच्चे "पिरवार कल्याण क्षतिपूर्ति योजना" अन्तर्गत भारत सरकार के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति राशि को सम्पूर्ण एवं अन्तिम मुआवजा के रूप में स्वीकार करेंगे। बंध्याकरण / नसबन्दी असफलता के फलस्वरूप यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके पालन—पोषण के लिये "पिरवार कल्याण क्षतिपूर्ति योजना" में देय राशि के अतिरिक्त किसी भी न्यायालय से किसी प्रकार के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दावे के हकदार नहीं होंगे।		
प्रपः	मैने उपरोक्त वर्णित सभी जानकारियों को पढ़ लिया है या उपरोक्त जानकारी मेरी भाषा में पढ़कर मुझे सुनाया एवं समझाया गया है एवं इस त्र का वैधानिक / कानूनी अधिकार है।		
का	मुझे ज्ञात है कि मेरे पास अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारों का त्याग किए बिना किसी भी समय बन्ध्याकरण प्रक्रिया नहीं अपनाने विकल्प मौजूद है।		
	ांक : लाभार्थी का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान		
लाभ	ार्थी का नामः		
पूरा	नामः गवाह का हस्ताक्षर (लाभार्थी पक्ष का)		

Annexure – 7 (Total 3 pages)

मैं अवगत हूँ कि लाभार्थी शादीशुदा है एवं उनका एक साल से ज्यादा उम्र का एक जीवित बच्चा है। आशा/परामर्शी/प्रेरक का हस्ताक्षर:					
				पूरा नामः	
पूरा पताः					
मैं प्र	मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि—				
क.	श्रीमती श्री /हेतु चिकित्सीय रूप से योग्य एवं अनिवार्य उम्र सीमा के अन्तर्गर	योग्य लक्षित दम्पति है एवं बंध्याकरण ऑपरेशन त है।			
ख.	मैने लाभार्थी को सभी उपरोक्त शर्तों (Clauses) के अन्तर्गत आने वाले सभी पहलुओं की व्याख्या कर दी / दिया है एवं इस प्रपत्र का वैधानिक / कानूनी अधिकार है।				
ग.	मैंने चिकित्सीय प्रपत्र सह जाँच सूची को पूरी तरह से भर दिया है जो कि भारत सरकार के बंध्याकरण मानकों के दिशा—निर्देश के अनुरूप है।				
	ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक का हस्ताक्षर	संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर			
	(ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक का नाम)	(प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का नाम)			
	दिनांकः	दिनांक:			
	मुहर	मुहर			
बन्ध्य	ाकरण अस्वीकृति				
मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि श्रीमती /श्री					
1.					
2.					
लामार्थी को निम्नवत् अन्य गर्म निरोधक साधनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।					
1.					
2.					
		निर्णय लेने वाले चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर दिनांकः			
नाम	एवं पूरा पता				

Source: